

1260/15

9376/FS/15
31/6/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/6547/2015-पीएमआर

दिनांक: 01/06/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

डापरी संख्या
Dy. No. 3445
दिनांक/Date 08/06/2015
RTI Sec. J/2015

उपर्युक्त विषय पर श्री रोशन के बडोले से प्राप्त दिनांक 22.5.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.5.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

USC RTI

बिप्पब

(बी.के. राय)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रोशन के बडोले
मु.बौध्दनगर, पो.ता सड़क
अर्जुनी, जिला, गोंदिया
महाराष्ट्र -441 807

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

- Protocol
- Concurred Divs. (territorial)

MSR

8


8/6

परिशिष्ट अ
(नियम ३ देखें)

सुचना का अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये सुचना का अधिकार मिलने हेतु आवेदक पत्र का प्रारूप

प्रती,

मा.सहायक डेप्टी सेक्रेटरी,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
नई दिल्ली -01



1. आवेदक का नाम : रोशन खुशाल बडोले
2. आवेदक का पूर्ण पत्ता : मु.बौध्दनगर पो.ता. सडक/अर्जुनी, जि. गोंदिया

आवश्यक सुचना का अधिकार का ब्यौरा : अब तक प्रधानमंत्री श्री.नरेद्रभाई दामोदर मोदी की विदेश यात्रा की जानकारी मिलने हेतु

अ) सुचना अधिकार प्राप्ती का विषय : प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा (दौरा) के बारे में जानकारी एवं यात्री के आया भारत सरकार के खजाने से खर्च विशेष जानकारी मिलने हेतु

ब) सुचना अधिकार की कालावधी : जून 2014 से 21 मे 2015 तक कि जानकारी

क) सुचना अधिकार का ब्यौरा जो

1) जून 2014 से आज तक प्रधान मंत्री नरेद्र भाई दामोदर मोदी ने किस किस देशो की विदेश यात्रा की, और कब कब और कितने लोग या मंत्री या सहायक कौन कौन थे ! इसकी पुरी जानकारी या ब्यौरा हेतु सत्य जानकारी मिलें

2) उपरोक्त यात्राओं के विदेशों का प्रवास खर्च पंतप्रधान एवं अन्य के द्वारा भारत सरकार के खजाने से कितना कितना खर्च किस देशा में खर्च आया इसकी पुरी जानकारी की सत्य प्रतिलिपी मिलने हेतु

3) कौन कौन देशों में कौन-कौन करार एवं समझौता किया गया इसकी पुरी जानकारी मिलने हेतु

ड) सुचना अधिकार डाग द्वारा सुचित करे शीर्घ सुचना अधिकार का किया कित करे : डाग द्वारा सुचित करे या शीर्घ

आवेदक गरीबी रेखा के निचे है क्या : हॉ . (सन 2002 के गरीबी रेखा की झेराक्स सत्य प्रतिलिपी लगाई है)
उपरोक्त सुचना का अधिकार जानकारी डाग द्वारा शीर्घ ता शीर्घ भेजने का प्रारूप करे यही निवेदक करता हु.

ठिकाण :- बौध्दनगर


दिनांक :- 22/5/2015

आपला

सहपत्र :- पोस्टल आर्डर 10 रु , नंबर - 09F.054292

IP0010 09F 054292 R/B

4205240



कार्यालय गा.पं.

कोट्टनगर

जावक क्र.

दिनांक 30/02/09

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे

❀ प्रमाणपत्र ❀

प्रमाणित करण्यात येते की,

श्री/श्रीमती रोषन खुशाब कपोबे

राह. कोट्टनगर ता. सवित्री जि. गोंदिया

येथील रहीवासी आहेत. मौजा कोट्टनगर येथील सन 2002

च्या दारिद्र्य रेषेखालील यादीत कुटूंब प्रमुख श्री रोषन खुशाब कपोबे

चे नावाने दा.रे. खालील क्रमांक ६० असून उत्पन्न रु. २५४६

आहे. हे उपरोक्त कुटुंबाचे सदस्य आहेत.

सबब प्रमाणपत्र देण्यात येते.

शिकका

CM D. G. K. 30/02/09

संड विकास अधिकारी
(सचदवेणी)
पंचायत समिती स.अर्जुनी

पंचायत समिती स.अर्जुनी
ग्राम पंचायत, कोट्टनगर
ग्राम विकास अधिकारी

S/551/24/2015

विदेश मंत्रालय
(दक्षिणी प्रभाग)

जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 23 मार्च 2016

सेवा में,

श्री रोशन खुशाल बड़ोले
मु. बोधनगर, पो. ता सड़क
अर्जुनी, जिला, गोंदिया
महाराष्ट्र- 441807

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक - आरटीआई/65472015-पीएमआर दिनांक 26.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं एवं आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी मांगी थी।


2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि:

(अ) क्रमांक (1) - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे। - प्रधान मंत्री की इस यात्रा के लिए दक्षिणी प्रभाग, विदेश मंत्रालय से निमंलिखित अधिकारी ऑस्ट्रेलिया गए : श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व); श्री संजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव(दक्षिण) ; श्री मोहम्मद मोनिरुज्जुमान, उपसचिव (दक्षिण) और श्री रामबाबू सी , अवर सचिव (प्रशिष्ट अधिकारी)।

(स) क्रमांक (3) - इस यात्रा (16-18 नवम्बर, 2014) के दौरान जिन समझौते/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, वे विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mea.gov.in/index-hi.htm के 'प्रलेख' भाग के 'द्विपक्षीय / बहुपक्षीय प्रलेख' भाग में पाये जा सकते हैं।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirtsouth@mea.gov.in



(पूजा वी वेर्णेकर)

अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर० टी० आई०, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)